

पत्रांक-15/जी 1-03/2014-16  
बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

एस0एम0 करीम,  
निदेशक, उच्च शिक्षा,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

कुल सचिव,  
राज्य के सभी विश्वविद्यालय ।

पटना, दिनांक 05/01/2015

विषय : विश्वविद्यालय कर्मियों के उपदान की सीमा में दिनांक 01.04.2007 के प्रभाव से वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप अन्तर राशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या-1116, दिनांक 26.08.2014 के द्वारा विश्वविद्यालय कर्मियों के उपदान की अधिकतम सीमा राज्यकर्मियों के अनुरूप दिनांक 01.04.2007 के प्रभाव से रूपये 10.00 लाख (दस लाख) निर्धारित की गई है।

आपसे अनुरोध है कि दिनांक 01.04.2007 एवं उसके बाद सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय कर्मियों को अनुमान्य उपदान एवं उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा अब तक भुगतान की गई राशि की विवरणी कर्मीवार संलग्न प्रपत्र में दिनांक 12.01.2015 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा करें।

*(एस0 एम0 करीम)*  
निदेशक, उच्च शिक्षा  
बिहार, पटना

प्रपत्र

विश्वविद्यालय का नाम :-

क्र० सं०	सेवानिवृत्त कर्मि का नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तिथि	विश्वविद्यालय सेवा में प्रदत्त कुल सेवा अवधि	प्राप्त अंतिम वेतन	अनुमान्य उपदान	भुगतान की गई राशि	अवशेष भुगतेय राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									

वित्त पदाधिकारी

कुल सचिव

वित्तीय परामर्शी